222 222 179

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **महेश चन्द्र चौधरी**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/11/4066/सतना/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-05-2006 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सतना, प्रकरण क्रमांक-147/बी-103/04-05

श्रीमती पुष्पा सिंह तोमर,
पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह तोमर,
निवासी- महात्मागांधी मार्ग, तहसील - रघुराजनगर,
जिला-सतना, मध्य प्रदेश।

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प,
जिला-सतना, मध्य प्रदेश।

.....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेन्द्र जैन,शास. अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30.8.19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-05-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका पुष्पा सिंह तोमर द्वारा स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत एक आवेदन पत्र पंचम अपर जिला न्यायाधीश सतना के समक्ष अनुबंध पत्र दिनांक 16.12.85 के साथ प्रस्तुत कर उसे बिक्रय पत्र मानते हुए जिस पर पर्याप्त स्टाम्प न होने से अनुबंध पत्र दिनांक 16.12.1985 को इम्पाउण्ड कराने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध माननीय पंचम अपर जिला

न्यायालय सतना से किया गया । मान. पंचम अपर जिला न्यायाधीश सतना द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.03.2005 से बादी पुष्पा सिंह तोमर को दस्तावेज इम्पाउण्ड कराकर स्टाम्प डयूटी पेनल्टी आदि जमा कर रसीद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये । मान. न्यायालय के आदेशानुसार श्रीमती पुष्पा सिंह तोमर द्वारा दिनांक 18.08.2005 को 16.12.1985 के इकरारनामा अनुबंध पत्र को इम्पाउण्ड कराये जाने हेतु जिला पंजीयक सतना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्रमांक 147/बी-103/04-05 पर दर्ज किया जाकर सुनवाई उपरांत पारित आदेश दिनांक 18-05-2006 से अनुबंधाधीन भूमि का बाजारू मूल्य 4,87,45,770/- निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 50,68,521/- व अर्थदण्ड राशि रूपये 5,06,85,210/- कुल राशि रूपये 5,57,53,731/- निर्धारित कर चालान से जमा करने के निर्देश जारी किए गये। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सतना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय कलैक्टर ऑफ स्टाम्प सतना का अभिलेख बुलाया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही बातें दुहरायी गयी जो निगरानी मेंमो में अंकित हैजिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध नहीं किया गया है किन्तु बिचार में लियागया है तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए गये थे जो अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में अंकित होने से यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु प्रस्तुत तर्को पर बिचार किया गया है, जो इस आदेश का अंग होगें। इसके साथ ही आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में अभिलेख के आधार पर निर्णय पारित करने के निवेदन के साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर बिचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर भी बिचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना के अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुबंध पत्र (इकरारनामा) दिनांक 16-12-1985 राशि रूपये 65000/- का निष्पादित किया गया था अनुबंधाधीन संपत्ति की बाजारू कीमत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-05-06 को राशि 4,87,45,770/- रूपये निर्धारित की गयी है जिस पर कमी मुद्रांक शुल्क व अर्थदण्ड मिला कर कुल राशि रूपये 5,57,53,731/-(पांच करोड सत्तावन लाख तिरेपन हजार सात सौ इकत्तीस) रूपये निर्धारित कर चालान से जमा करने के आदेश दिए गये हैं । प्रकरण में यह तथ्य भी विचारणीय है कि अनुबंध इकरारनामा दिनांक 16-12-85 को 65000/- हजार में निष्पादित किया जाकर सतना की भूमि क्रमांक 148 के अंश भाग रकवा 7402 वर्गफीट व भूमि क्रमांक 236 रकवा अंश भाग 26432 वर्गफीट दोनों का कुल रकवा 36839 वर्गफीट मुताबिक इकरारनामा अनुबंध पत्र क्रय किया गया था जिसका शासन नियमानुसार स्टाम्प शुल्क की राशि

का भुगतान अनुबंध दिनांक को ही किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। इस प्रकार इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि पक्षकार द्वारा शासन की स्टाम्प शुल्क की राशि का समय पर भुगतान न कर शासन को हानि पहुंचाई गयी। वहीं आवेदिका द्वारा ऐसा कोई अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना द्वारा निर्धारित राशि रूपये 5,57,53,731/-(पांच करोड सत्तावन लाख तिरेपन हजार सात सौ इकत्तीस) रूपये अनुचित होकर विधिसम्मत नहीं है। अत: कलेक्टरऑफ स्टाम्प के प्रश्नाधीनआदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18-05-06 विधिसंगत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सतना का दिनांक 18-05-06 स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया गया जावे।

(महेश चन्द्र [illegible])
सदस्य
राजस्व मण्डल, [illegible]
ग्वालियर